

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8179/2020 भगवान लाल पटेल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II व III भर्ती परीक्षा 2013 में याचिकार्थी द्वारा टीएसपी परिक्षेत्र हेतु आवेदन करने के फलस्वरूप आयोग द्वारा टीएसपी परिक्षेत्र हेतु शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर चयनित एवं अभिस्तावित याचिकार्थी को विभाग द्वारा जिला आवंटन प्रक्रिया में सिरोंही जिला आवंटित कर सिरोंही जिले के नॉन-टीएसपी परिक्षेत्र के विद्यालय राउमावि आमली, जिला-सिरोंही में पदस्थापित किया गया जबकि उससे निम्न वरीयता क्रमांक 1384 के अभ्यर्थी को गृह जिला उदयपुर आवंटित कर इच्छित स्थान पर पदस्थापित किया गया। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सिरोंही जिले के नॉन-टीएसपी परिक्षेत्र के विद्यालय से गृह जिले उदयपुर में पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.20 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III पद हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला आवंटन बाबत प्रदत्त दिशा-निर्देश दिनांक 29.03.2016 के अनुसार जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर उस जिले को आवंटित किए जाएंगे। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-III की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना जिलेवार ही की जाती है अतः जिले के वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियों यथा महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/एसबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा-परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप वर्गवार मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटित किया जावेगा, के निर्देश दिए गए थे जिसके अनुसार ही जिला आवंटन किया गया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2017 की पालना में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान किये जाने के फलस्वरूप आयोग द्वारा दिनांक 24.08.2017 को जारी संशोधित परिणाम में याचिकार्थी का नॉन-टीएसपी परिक्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर मुख्य सूची में वरीयता क्रमांक 1285-ए, वर्ग एवं चयन वर्ग OBCM पर चयन किया गया। विभागीय नियमानुसार विज्ञापित पदों में से तत्समय उपलब्ध रिक्तियों में से याचिकार्थी को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार 5वीं प्राथमिकता पर अंकित सिरोंही जिला आवंटित कर सिरोंही जिले के नॉन-टीएसपी परिक्षेत्र के विद्यालय राउमावि आमली, जिला-सिरोंही में पदस्थापित किया गया।

याचिकार्थी द्वारा स्वयं से निम्न वरीयता क्रमांक 1384 के अभ्यर्थी को उदयपुर जिला आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी का वर्ग OBCM चयन वर्ग TGEM है जबकि याचिकार्थी का वर्ग एवं चयन वर्ग OBCM है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II व III भर्ती 2013 में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III पद हेतु आयोग से याचिकार्थी की अभिस्तावना प्राप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा याचिकार्थी से संबंधित वर्ग एवं चयन वर्ग OBCM में याचिकार्थी से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थी के विकल्प पत्र में प्रथम चार प्राथमिकताओं पर क्रमशः अंकित उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जिला नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है।

अतः याचिकार्थी द्वारा सिरौही जिले के स्थान पर उदयपुर जिले में पदस्थापन करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 18.02.2021

क्रमांक:- शिविरा-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जोध/13011/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, सिरौही
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
5. याचिकार्थी श्री भगवान लाल पटेल पुत्र श्री मेघजी पटेल, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III, राउमावि आमली, जिला-सिरौही (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)